[2020] 6 एस.सीआर 1015

नीतू कुमार नगाइच

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य

रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 141 2020

16 सितम्बर 2020

[आर एफ नरीमन, नवीन सिन्हा और

इंदिरा बनर्जी, जे.जे.]

जाँच पड़ताल:

नए सिरे से जांच - आपराधिक मामले को राज्य पुलिस से सीबीआई को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिट याचिका - जांच में कई कमियों का आरोप - निर्धारित समय के भीतर जांच समाप्त करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दायर की - माना: एक निष्पक्ष जांच यह कला के तहत गारंटीशुदा संवैधानिक अधिकार का एक हिस्सा है। निष्पक्ष सुनवाई के रूप में संविधान के अनुच्छेद 21 - संवैधानिक न्यायालय के पास न्याय के गर्भपात को रोकने के लिए असाधारण परिस्थितियों में नए सिरे से जांच का निर्देश देने की शक्ति है - मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, पूरी जांच और क्लोजर रिपोर्ट में प्रामाणिकता का अभाव है - हित न्याय के लिए कानून के शासन में समाज के विश्वास को बनाए रखने के लिए नए सिरे से जांच की आवश्यकता होती है - इसलिए, क्लोजर रिपोर्ट को अलग रखा जाता है और राज्य पुलिस के जांचकर्ताओं की एक नई टीम द्वारा नए सिरे से जांच करने का निर्देश दिया जाता है - संविधान का भारत - कला 21.

याचिका को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने कहा:

1. एक निष्पक्ष जांच संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक निष्पक्ष सुनवाई के रूप में गारंटीकृत संवैधानिक अधिकार का एक हिस्सा है, जिसके बिना मुकदमा स्वाभाविक रूप से निष्पक्ष

नहीं होगा। आम तौर पर जब एक जांच पूरी हो जाती है और धारा 173(2) सीआर के तहत पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। पी.सी., यह केवल आगे की जांच है जिसका आदेश सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत दिया जा सकता है। पी.सी. लेकिन जहां संवैधानिक अदालत इस बात से संतुष्ट है कि जांच उचित और वस्तुनिष्ठ तरीके से नहीं की गई है, वहां एक स्वतंत्र एजेंसी की मदद से नए सिरे से जांच पर विचार किया जा सकता है ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके ताकि सच्चाई सामने आ सके। शक्ति का प्रयोग तब भी किया जा सकता है यदि अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जांच किसी को कानून के चंगुल से बचने में मदद करने के लिए की गई है। ऐसी असाधारण परिस्थितियों में अदालत, आपराधिक न्याय के गर्भपात को रोकने के लिए नए सिरे से जांच का निर्देश दे सकती है। नए सिरे से या नए सिरे से जांच का आदेश देने की संवैधानिक अदालत की शक्ति का प्रयोग मुकदमा शुरू होने के बाद भी किया जा सकता है और कुछ गवाहों की जांच में कोई बाधा नहीं आ सकती है। [पैरा 9 और 12][1020-एच; 1021-ए-सी; 1024-जी]

कश्मीरी देवी बनाम दिल्ली प्रशासन, **(1988) सप्ल एससीसी 482: [1988] 3 एससीआर 700;** बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य, **(2010) 12 एससीसी 254: [2010] 10 एससीआर 651;** भारती तमांग बनाम भारत संघ, **(2013) 15 एससीसी 578: [2013] 14 एससीआर 525;** जाहिरा हबीबुल्ला एच. शेख बनाम गुजरात राज्य, **(2004) 4 एससीसी 158: [2004] 3 एससीआर 1050;** पूजा पाल बनाम भारत संघ, **(2016) 3 एससीसी 135: [2016] 11 एससीआर 560;** धरम पाल बनाम हरियाणा राज्य, **(2016) 4 एससीसी 160: [2016] 1 एससीआर 194 - पर भरोसा किया गया।**

2. वर्तमान मामले में, शुरुआत में मृतक की मौत को ट्रेन से टकराने से हुई दुर्घटना या अवसाद के कारण आत्महत्या के रूप में पेश करने की मांग की गई थी। एफ आई.आर. आईपीसी की धारा 302 के तहत बहुत देरी से, अनिच्छा से, याचिकाकर्ता और उसके पति के बार-बार उच्च अधिकारियों से संपर्क करने के बाद भी उनके आग्रह पर मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद भी इस अदालत के समक्ष जवाबी हलफनामा दायर करने तक जांच रुकी रही, जिसमें उत्तरदाताओं ने जोर देकर कहा कि मौत आकस्मिक थी और चोटों की प्रकृति से हत्या की मौत नहीं हो सकती। इससे पहले याचिकाकर्ता के पति ने भी उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जहां उत्तरदाताओं ने जोर देकर कहा था कि मौत आकस्मिक प्रकृति की थी। जांच के लंबे समय तक लंबित रहने

को देखने के बावजूद उच्च न्यायालय ने गलत रुख अपनाया और मामले की जांच करने और रिपोर्ट दर्ज करने का खुला आदेश पारित किया। इस तरह, जांच लगभग तीन वर्षों तक अनिर्णीत रही और जांच एजेंसी ने जांच पूरी करने से बचते हुए किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचे बिना इसे एक आकस्मिक मौत के रूप में पेश करने का आरोप लगाया। यह तभी हुआ जब इस न्यायालय ने आदेश दिया कि जांच दो महीने की अवधि के भीतर समाप्त की जाए, तभी अचानक एक बहुत लंबी जांच क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई, जिसमें यह रुख अपनाया गया कि हालांकि मौत मानव हत्या थी, लेकिन कोई सुराग नहीं था। इसलिए, क्लोजर रिपोर्ट स्पष्ट रूप से जल्दबाजी में की गई कार्रवाई है, जिसमें जांच की प्रकृति के संबंध में बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि यदि विस्तृत जांच पहले ही की जा चुकी होती, जैसा कि अब सुझाव दिया जा रहा है, तो कोई कारण नहीं है कि अंतिम रिपोर्ट क्यों नहीं दी जा सकती थी। घटनाओं के सामान्य क्रम में जांच एजेंसी द्वारा दायर किया गया और ऐसा करने के लिए इस न्यायालय से आदेश की आवश्यकता थी। इसलिए पूरी जांच और क्लोजर रिपोर्ट में प्रामाणिकता का अभाव है। इसलिए न्याय के हित में नए सिरे से जांच किए जाने की आवश्यकता है, ताकि कानून के शासन में समाज का विश्वास कायम रहे, भले ही कर्ता कोई भी हो। [पैरा 13][1025-सी-एच; 1026-ए-बी]

3. इसलिए, क्लोजर रिपोर्ट को अलग रखा जाता है और नए सिरे से जांच करने का निर्देश दिया जाता है, जिसे राज्य के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में जांचकर्ताओं की एक नई टीम द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें उपयोग के साथ अच्छी तरह से परिचित कुशल कर्मियों को शामिल किया जाएगा। आधुनिक जांच तकनीक का. कोई भी अधिकारी जो क्लोजर रिपोर्ट तक पहुंचने वाली जांच टीम का हिस्सा था, नए सिरे से जांच करने वाली टीम का हिस्सा नहीं होगा। ऐसी ताज़ा जांच अधिकतम दो महीने की अवधि के भीतर समाप्त होनी चाहिए। [पैरा 14][1026-सी-डी]

केस कानून संदर्भ

[1988] 3 एससीआर 700 पैरा 9 पर निर्भर था

[2010] 10 एससीआर 651 पैरा 9 पर निर्भर था

[2013] 14 एससीआर 525 पैरा 10 पर निर्भर था

[2004] 3 एससीआर 1050 पैरा 10 पर निर्भर था

[2016] 11 एससीआर 560 पैरा 11 पर निर्भर था

[2016] 1 एससीआर 194 पैरा 12 पर निर्भर था

आपराधिक मूल क्षेत्राधिकार:2020 का रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 141

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

डॉ. मनीष सिंघवी, वरिष्ठ वकील, सुनील फर्नांडीस, सुश्री आस्था शर्मा, प्रस्तुत दलवी, सुश्री मंतिका हरयानी और संदीप कुमार झा, सलाहकार। उपस्थित पक्षों के लिए

न्यायालय का फैसला **नवीन सिन्हा, जे.** द्वारा सुनाया गया।

1. 21 साल का मृतक, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में तीसरे वर्ष का छात्र था, याचिकाकर्ता का इकलौता बेटा था। वह राज्य पुलिस द्वारा की गई जांच से असंतुष्ट होकर, अपने बेटे की हत्या के रहस्य को उजागर करने के लिए न्याय चाहती है। अपराधियों की पहचान के बिना जांच ठंडे बस्ते में पहुंच गई है। इसलिए रिट याचिका में प्रार्थना यह है कि मंडोर पुलिस स्टेशन, जोधपुर शहर, राजस्थान में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 155, 2018 दिनांक 29.06.2018 की जांच को केंद्रीय ब्यूरो को स्थानांतरित करने का आदेश दिया जाए। जाँच पड़ताल।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री सुनील फर्नांडीस का कहना है कि 13.08.2017 की शाम को मृतक विश्वविद्यालय में अपने दोस्तों के साथ छात्रावास से विश्वविद्यालय परिसर से लगभग 300 मीटर दूर स्थित एक रेस्तरां में गया था। सुबह 09.00 बजे उनका शव मिला. अगली सुबह रेस्तरां के पीछे रेलवे ट्रैक पर। मृतक द्वारा अवसाद के कारण आत्महत्या करने की फैलाई गई तुच्छ कहानियों पर भरोसा करते हुए, विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (इसके बाद 'एफआईआर' के रूप में संदर्भित) दर्ज नहीं की। याचिकाकर्ता और उसके पति के काफी

समझाने के बाद लगभग दस महीने बाद 29.06.2018 को एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस की लापरवाही और संवेदनहीनता इस तथ्य से परिलक्षित होती है कि न तो अपराध स्थल को सील किया गया और न ही संबंधित अवधि के दौरान सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल फुटप्रिंट, मोबाइल लोकेशन आदि और व्हाट्सएप चैट सहित प्रासंगिक गवाहों की उचित जांच करके तत्परता से आवश्यक जांच की गई। घटना के दिन समय का. यह स्वीकार करना मुश्किल है कि सेवा प्रदाताओं ने घटना के स्थान पर टावरों के मोबाइल डंप डेटा प्रदान नहीं किए या पुलिस ने उन्हें आसानी से "डार्क जोन" के रूप में पाया।

3. रेलवे अधिकारियों ने पुष्टि की थी, अनुलग्नक पी-2, कि दरम्यानी रात के दौरान लगभग पांच ट्रेनें ट्रैक पार कर चुकी थीं और किसी भी इंजन चालक ने सुबह 09.00 बजे रेलवे ट्रैक पर अचानक शव पाए जाने तक किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं दी थी। अगली सुबह। उससे पहले एक गवाह जो सुबह 06.30 बजे प्रकृति की पुकार का जवाब देने गया था। कहा था कि उन्होंने रेलवे ट्रैक पर कोई शव नहीं देखा। मृतक के शरीर पर पाई गई चोटों की प्रकृति और संख्या से यह स्पष्ट होता है कि यह एक मानव हत्या थी और प्रकृति में आकस्मिक या आत्मघाती नहीं थी। घटना स्थल के निकट गोदाम के केयरटेकर से इस तुच्छ बहाने से पूछताछ नहीं की गई कि वह बहरा था और इसलिए अविश्वसनीय था। यह बहाना कि देखभाल करने वाले पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह बहरा था, बेतुका है।

4. मृतक अकेला नहीं बल्कि अपने दोस्तों के साथ था. आश्चर्य की बात है कि अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन पर कैसे और किन परिस्थितियों में और किसने जानलेवा हमला किया। बताया जाता है कि मृतक वापस हॉस्टल लौट आया था। प्रवेश रजिस्टर में उनके शुरुआती अक्षर अंकित थे जो परिसर में उनकी वापसी का संकेत दे रहे थे, फिर भी उनके एक मित्र ने यह सरल स्पष्टीकरण देकर इसे खारिज कर दिया कि उन्होंने गलती से प्रवेश कर लिया था। निश्चित रूप से यह आगे की जांच का विषय था. यदि मृतक बाद में रात 10:30 बजे फिर से छात्रावास परिसर से अकेले निकल गया। गेट पर लगे सीसीटीवी फुटेज में दृश्य होने चाहिए थे। पुलिस द्वारा घटना के समय आसपास उपलब्ध मोबाइल लोकेशन की जांच का भी प्रयास नहीं किया गया है।

5. याचिकाकर्ता के पति ने एस.बी. में उच्च न्यायालय का रुख किया था। 2019 की आपराधिक विविध याचिका संख्या 1411 उस तरीके से असंतुष्ट है जिस तरह से पुलिस उचित जांच करने में विफल रहने में अपने पैर खींच रही थी, जिससे गंभीर संदेह पैदा हुआ कि किसी को

बचाने के प्रयास किए जा रहे थे। उच्च न्यायालय ने 24.02.2020 को जांच अधिकारी को संबंधित अदालत में जांच के परिणाम दाखिल करने का निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया, और याचिकाकर्ता को इसे चुनौती देने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी। जब दोबारा कुछ नहीं हुआ और जांच में कोई प्रगति नहीं हुई, तो याचिकाकर्ता ने 20 मई, 2020 को तत्काल रिट याचिका दायर की। इस न्यायालय ने 8.07.2020 को निर्देश दिया कि जांच दो महीने की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए और अंतिम रिपोर्ट दी जानी चाहिए। इस न्यायालय में दायर किया गया। इसके बाद जांच अधिकारी ने जल्दबाजी में एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की है जो पूरी तरह से असंतोषजनक है और उनके द्वारा की गई जांच की प्रकृति के संबंध में उत्तर देने की तुलना में अधिक प्रश्न उठाती है। श्री फर्नांडीस ने हमें क्लोजर रिपोर्ट की अनुमति न देने, बल्कि इसे अलग रखने और अपराध और अपराधी के समाधान के लिए नए सिरे से जांच का आदेश देने के लिए मनाने की कोशिश की। इस न्यायालय के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से 10.07.2020 और 11.08.2020 को पुलिस महानिदेशक (अपराध) को पत्र लिखकर जांच में कई कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिनकी अभी भी जांच होनी बाकी है और उन पर कार्रवाई नहीं की गई है। क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले सभी पर विचार किया जाए।

6. प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. मनीष सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, "संहिता") की धारा 174 के तहत जांच कार्यवाही तुरंत शुरू की गई थी। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गठित विशेष जांच दल द्वारा बड़ी संख्या में गवाहों से पूछताछ की गई है। जांच में कोई कमी नहीं मिली है. सभी संभावनाओं की जांच की गई है और आवश्यक साक्ष्य एकत्र और विश्लेषण किया गया है। तमाम कोशिशों के बावजूद अपराधियों का पता नहीं चल सका। इस न्यायालय के पास आगे या नये सिरे से जांच का निर्देश देने का कोई अवसर नहीं था। क्लोजर रिपोर्ट को संबंधित अदालत के समक्ष दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है और कानून अपना काम कर सकता है।

7. हमने पार्टियों की ओर से प्रस्तुतियों पर विचार किया है और हमारे आदेश दिनांक 8.07.2020 के अनुसार दायर की गई दिनांक 03.09.2020 की क्लोजर रिपोर्ट को भी बहुत ध्यान से देखा है। क्लोजर रिपोर्ट इसे एक मानव वध के रूप में स्वीकार करती है लेकिन यह निष्कर्ष निकालती है कि अपराधी कौन थे इसका कोई सुराग नहीं है।

8. बताया जाता है कि मृतक दिनांक 13.08.2017 की शाम लगभग 07.40 बजे अपने कई दोस्तों के साथ विश्वविद्यालय परिसर से निकला था। अगली सुबह करीब 9:00 बजे उनका

शव देखा गया. लक्ष्मी गेस्ट हाउस के पीछे से गुजर रहे रेलवे ट्रैक पर। शव ट्रैक पर समकोण पर मुड़ा हुआ पड़ा था। मृतक के शरीर पर नौ बहुत गंभीर चोटें थीं जो कि मृत्यु पूर्व की प्रकृति की पाई गईं। घटनास्थल पर खून नहीं था, लेकिन उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था. घटनास्थल पर मृतक की केवल एक चप्पल मिली। उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष और 03.07.2020 को हमारे समक्ष दायर जवाबी हलफनामे में भी तर्क दिया था कि मृत्यु प्रकृति में आकस्मिक थी। दिनांक 03.09.2020 की क्लोजर रिपोर्ट का निष्कर्ष बिना किसी सुराग के एक मानव वध की मौत को स्वीकार करने के लिए एक पलटवार करता है, ट्रेन से टक्कर के कारण एक आकस्मिक मौत से इनकार करता है। यह कल्पना से परे है कि मृतक के साथ रेलवे ट्रैक पर नहीं, बल्कि कहीं और हमला किया गया था। चूंकि एक क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसे हमें स्वीकार न करने के लिए राजी किया जा रहा है, इसलिए हम क्लोजर रिपोर्ट में सामने आए अंतर्निहित विरोधाभासों और जांच की अनिर्णायक प्रकृति के विस्तृत विश्लेषण के लिए जानबूझकर परहेज करेंगे, सिवाय इसके कि उद्देश्यों के लिए आवश्यक सीमा तक। वर्तमान आदेश. हमें पुलिस द्वारा की गई जांच की दोषपूर्ण प्रकृति और तरीके के संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से की गई दलीलों में दम नजर आया, जिसके कारण क्लोजर रिपोर्ट आई।

9. आम तौर पर जब कोई जांच पूरी हो जाती है और पुलिस रिपोर्ट संहिता की धारा 173(2) के तहत प्रस्तुत की जाती है, तो यह केवल आगे की जांच है जिसे संहिता की धारा 173(8) के तहत आदेश दिया जा सकता है। लेकिन जहां संवैधानिक अदालत इस बात से संतुष्ट है कि जांच उचित और वस्तुनिष्ठ तरीके से नहीं की गई है, जैसा कि **कश्मीरी देवी बनाम दिल्ली प्रशासन,** (1988) सप्ल में देखा गया है। एससीसी 482, एक स्वतंत्र एजेंसी की मदद से नए सिरे से जांच को न्याय के छोर को सुरक्षित करने के लिए माना जा सकता है ताकि सच्चाई सामने आ सके। शक्ति का प्रयोग तब भी किया जा सकता है यदि अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जांच किसी को कानून के चंगुल से बचने में मदद करने के लिए की गई है। ऐसी असाधारण परिस्थितियों में अदालत, आपराधिक न्याय के गर्भपात को रोकने के लिए नए सिरे से जांच का निर्देश दे सकती है, जैसा कि **बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य,** (2010) 12 एससीसी 254 में देखा गया है। एक निष्पक्ष जांच एक संवैधानिक अधिकार की गारंटी का एक हिस्सा है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक निष्पक्ष सुनवाई के रूप में, जिसके बिना सुनवाई स्वाभाविक रूप से निष्पक्ष नहीं होगी। **बाबूभाई** (सुप्रा) में इस संदर्भ में टिप्पणियों को पैराग्राफ 45 में निम्नानुसार प्रासंगिक माना जाता है:

"45। न केवल निष्पक्ष सुनवाई बल्कि निष्पक्ष जांच भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 के तहत गारंटीकृत संवैधानिक अधिकारों का हिस्सा है। इसलिए, जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और विवेकपूर्ण होनी चाहिए क्योंकि यह कानून के शासन की न्यूनतम आवश्यकता है। जांच एजेंसी को दागदार और पक्षपातपूर्ण तरीके से जांच करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जहां अदालत के हस्तक्षेप न करने से अंततः न्याय की विफलता होगी, वहां अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसी स्थिति में, यह न्याय के हित में हो सकता है कि उच्च न्यायालय द्वारा चुनी गई स्वतंत्र एजेंसी नए सिरे से जांच करे।"

10. **भारती तमांग बनाम भारत संघ,** (2013) 15 एससीसी 578 में, एक रिट याचिका में विशेष जांच दल द्वारा नए सिरे से जांच के आदेश के साथ आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र को रद्द करने की मांग की गई थी। साजिश का पर्दाफाश करने के लिए बेदाग साख वाले सक्षम व्यक्ति। इस न्यायालय ने **ज़ाहिरा हबीबुल्ला एच. शेख बनाम गुजरात राज्य,** (2004) 4 एससीसी 158 के निम्नलिखित उद्धरण पर भरोसा किया, जो इस प्रकार है:

"33...."अदालतों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आरोपी व्यक्तियों को दंडित किया जाए और राज्य की शक्ति या अधिकार का उपयोग खुद को या अपने लोगों को बचाने के लिए नहीं किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे ऐसी शक्तियों का उपयोग न करें जिन्हें संविधान के तहत केवल जनता और समाज के लिए विश्वास में रखा जाना चाहिए। *यदि जांच या अभियोजन में कमी दिखाई देती है या पर्दा उठाकर वास्तविकताओं को छिपाने या स्पष्ट कमियों को ढंकने की कोशिश की जा सकती है, तो अदालतों को कानून के ढांचे के भीतर उचित रूप से सख्ती से निपटना होगा। यह अभियोजक का उतना ही कर्तव्य है जितना कि अदालत का कि वह यह सुनिश्चित करे कि पूर्ण और भौतिक तथ्य रिकॉर्ड पर लाए जाएं ताकि न्याय का गर्भपात न हो।"*

xxxxx

"37. बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य के फैसले में, पैरा 40 में, इस न्यायालय ने माना कि जांच की योजना विशेष रूप से धारा 173(8) सीआरपीसी आगे की जांच का प्रावधान करती है, न कि पुन: जांच की, लेकिन पैरा 42 में इसे निम्नानुसार रखा गया है: (एससीसी पी. 272)

"42. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि असाधारण परिस्थितियों में, आपराधिक न्याय के गर्भपात को रोकने के लिए, यदि आवश्यक समझे तो अदालत नए सिरे से जांच

का निर्देश दे सकती है, जिसमें मामला असाधारण परिस्थितियों को प्रस्तुत करता है।"

38. इसलिए, जरूरत के समय जहां यह न्यायालय पाता है कि कोई असाधारण या असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हुई है और ऐसे असाधारण मामलों में पुन: जांच की आवश्यकता अनिवार्य होगी, यहां तक कि नए सिरे से जांच का आदेश भी दिया जा सकता है।

xxxxx

41.3. यदि जांच या अभियोजन में कमी दिखाई देती है या पर्दा उठाकर महसूस किया जा सकता है जो वास्तविकताओं को छिपाने या स्पष्ट कमी को कवर करने की कोशिश करता है, तो अदालतों को कानून के ढांचे के भीतर उचित रूप से कठोरता से निपटना होगा।

xxxxx

41.5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपराधिक अभियोजन बिना किसी कमी के चलता रहे, उचित मामलों में यह न्यायालय विशेष जांच दल का गठन भी कर सकता है और केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य अधिकारियों को ऐसी विशेष रूप से गठित जांच में सभी आवश्यक सहायता देने के लिए उचित निर्देश भी दे सकता है। वास्तविक दोषियों को पकड़ने और अभियोजन के प्रभावी संचालन के लिए टीम

xxxxx

41.7. उपयुक्त मामलों में, भले ही आरोप-पत्र दायर किया गया हो, इस न्यायालय या यहां तक कि उच्च न्यायालय के लिए भी यह खुला है कि वह पूर्ण न्याय करने के लिए मामले की जांच सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने का निर्देश दे।

41.8. असाधारण परिस्थितियों में न्यायालय आपराधिक न्याय के दुरुपयोग को रोकने के लिए और यदि आवश्यक समझे तो नए सिरे से जांच के लिए निर्देश दे सकता है।"

11. संवैधानिक न्यायालय की शक्ति पुन: जांच का निर्देश देने तक विस्तारित हो सकती है, जिसे पूजा पाल बनाम भारत संघ, (2016) 3 एससीसी 135 में फिर से देखा गया, इस प्रकार:

"87। कोई भी आपराधिक अपराध बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ होता है, जो मानव अधिकारों के संरक्षक और संरक्षक और कानून के संरक्षक के रूप में राज्य पर एक बड़ी जिम्मेदारी डालता है कि वह अपनी पवित्र भूमिका को जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता से निभाए, किसी भी चूक के लिए हमेशा कानून का पालन करने वाले नागरिकों के प्रति जवाबदेह हो। . आगे की जांच या पुन: जांच का निर्देश देने की संवैधानिक अदालतों की शक्ति न्यायिक समीक्षा करने के लिए उसके अधिकार क्षेत्र का एक गतिशील घटक है, जो संविधान की एक बुनियादी विशेषता है और हालांकि इसे उचित देखभाल और सावधानी के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए और स्वयं लगाए गए संयम के साथ सूचित किया जाना चाहिए। प्रचुरता और उसकी सामग्री को किसी भी कानून द्वारा न तो नियंत्रित किया जा सकता है और न ही नियंत्रित किया जा सकता है।

xxxxx

90. यह कि पीड़ित को आपराधिक मुकदमे में विदेशी या पूर्ण अजनबी के रूप में व्यवहार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, इस न्यायालय ने *रतीराम बनाम एमपी राज्य,* (2012) 4 एससीसी 516 में दोहराया था, यह माना गया था कि आपराधिक न्यायशास्त्र के साथ समय बीतने के साथ पीड़ित विज्ञान पर जोर दिया गया है, जो मूल रूप से अपराधी के साथ-साथ सामाजिक संदर्भ में न्याय किए जाने पर पीड़ित के दृष्टिकोण से एक मुकदमे की धारणा है।

xxxxx

96. आपराधिक जांच के स्वीकृत उद्देश्य और वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के आगमन के साथ इसकी प्रभावशाली संभावनाओं को पॉल बी द्वारा *आपराधिक जांच - मूल परिप्रेक्ष्य* पर ग्रंथ में आपराधिक जांच के इतिहास से संबंधित प्रारंभिक अध्याय में स्पष्ट रूप से सारांशित किया गया है। वेस्टन और रेनेथ एम. वेल्स:

"आपराधिक जांच किसी अवैध कार्य या चूक की परिस्थितियों और उसके साथ जुड़ी मानसिक स्थिति के पुनर्निर्माण में उपयोगी लोगों और चीजों की एक वैध खोज है। यह ज्ञात से अज्ञात तक, समय में पीछे की ओर जांच कर रहा है, और इसका लक्ष्य सत्य को निर्धारित करना है जहां तक किसी भी पोस्ट-फैक्टम जांच में खोजा जा सकता है।

सफल जांच जांच के तहत किसी घटना के वास्तविक तथ्यों की कानूनी रूप से खोज करने में निष्ठा, सटीकता और ईमानदारी पर आधारित होती है और जांच के परिणामों की रिपोर्ट करने में समान विश्वसनीयता, सटीकता और ईमानदारी पर आधारित होती है। आधुनिक जांचकर्ता ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सच्चाई पर टिके रहते हैं और किसी घटना के समय और स्थान और साक्ष्य के मापने योग्य पहलुओं के बारे में बिल्कुल स्पष्ट हैं। वे अपनी जांच के दौरान पूरी तरह से यह पहचानते हुए काम करते हैं कि एक छोटा सा विरोधाभास या त्रुटि भी उनकी जांच में विश्वास को नष्ट कर सकती है। पारंपरिक आपराधिक जांच तकनीकों के साथ विज्ञान का जुड़ना आपराधिक जांच में दक्षता के नए क्षितिज प्रदान करता है। जांच में नए दृष्टिकोण मुखबिरों और हिरासत में पूछताछ पर निर्भरता को दरकिनार करते हैं और भौतिक साक्ष्य के लिए अपराध स्थल की कुशल स्कैनिंग और यथासंभव गवाहों की तलाश पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मूक साक्ष्य *अदालत में अपनी कहानी खुद बताता है, या तो अपनी प्रदर्शनात्मकता से या अपने वैज्ञानिक परीक्षण में शामिल एक विशेषज्ञ गवाह की गवाही के माध्यम से।&&& इस तरह के साक्ष्य पाए गए और साक्षात्कार किए गए गवाहों के प्रशंसापत्र साक्ष्य के बदले में या पुष्टि के रूप में काम कर सकते हैं। अपराध की सभी परिस्थितियों की सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस अपनी जिम्मेदारी का विस्तार करती है। &&&अपराधों को सुलझाने में बढ़ती निश्चितता संभव है और यह अपराध की प्रमुख रोकथाम में योगदान देगा-यह निश्चितता कि अपराधी की खोज की जाएगी, उसे गिरफ्तार किया जाएगा और दोषी ठहराया जाएगा।'*

12. **धरम पाल बनाम हरियाणा राज्य,** (2016) 4 एससीसी 160 में, यह देखा गया कि नए सिरे से या नए सिरे से जांच का आदेश देने की संवैधानिक अदालत की शक्ति का प्रयोग मुकदमा शुरू होने और कुछ गवाहों की जांच के बाद भी किया जा सकता है। कोई बाधा नहीं हो सकती, इस प्रकार अवलोकन करते हुए:

> "25. .... नए सिरे से, नए सिरे से या दोबारा जांच का आदेश देने की शक्ति संवैधानिक अदालतों में निहित होने, मुकदमा शुरू करने और कुछ गवाहों से पूछताछ करने की शक्ति उक्त संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करने में पूर्ण बाधा नहीं हो सकती है, जिसका उद्देश्य निष्पक्ष और उचित जांच सुनिश्चित करना है . ..... सत्य को बरकरार रखना कानून की अदालत का परम कर्तव्य है और सत्य का अर्थ है छल की अनुपस्थिति, धोखाधड़ी की अनुपस्थिति और एक आपराधिक जांच में वास्तविक और निष्पक्ष जांच, न कि ऐसी जांच

जो खुद को दिखावटी बताती है। यह स्वीकार्य नहीं है. यह बात सबसे ऊपर ध्यान में रखनी होगी कि निष्पक्ष और सच्ची जांच जरूरी है। ...."

13. वर्तमान मामले के तथ्यों पर गौर करने पर, हम पाते हैं कि घटना 13.08.2017 और 14.08.2017 की मध्यरात्रि में हुई थी। सीआरपीसी की धारा 174 के तहत जांच कार्यवाही 14.08.2017 को दर्ज की गई थी, लेकिन अनिर्णायक रही, और अब क्लोजर रिपोर्ट को देखते हुए इसे रद्द किया जाना चाहिए। शुरुआत में मृतक की मौत को ट्रेन से टकराने से हुई दुर्घटना या अवसाद के कारण आत्महत्या बताने की कोशिश की गई थी। फ़र। आईपीसी की धारा 302 के तहत 29.06.2018 को बहुत देर से, अनिच्छा से, केवल याचिकाकर्ता और उसके पति के बार-बार उच्च अधिकारियों से संपर्क करने के बाद उनके आग्रह पर मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद भी हाल ही में 03.07.2020 को इस न्यायालय के समक्ष जवाबी हलफनामा दायर करने तक जांच रुकी रही, उत्तरदाताओं ने जोर देकर कहा कि मौत आकस्मिक थी और चोटों की प्रकृति से हत्या की मौत नहीं हो सकती। इससे पहले याचिकाकर्ता के पति ने भी उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जहां 20.07.2019 तक उत्तरदाताओं ने जोर देकर कहा कि मृत्यु प्रकृति में आकस्मिक थी। दुर्भाग्य से, जांच के लंबे समय तक लंबित रहने को देखने के बावजूद उच्च न्यायालय ने एक गलत दृष्टिकोण अपनाया कि याचिकाकर्ता ने किसी के खिलाफ संदेह व्यक्त नहीं किया था और न ही उसने जांच अधिकारी के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाया था, मामले की जांच करने और फाइल करने के लिए एक खुला आदेश पारित किया। एक रिपोर्ट। इस तरह, जांच लगभग तीन वर्षों तक अनिर्णीत रही और जांच एजेंसी ने जांच पूरी करने से बचते हुए किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचे बिना इसे एक आकस्मिक मौत के रूप में पेश करने का आरोप लगाया। यह केवल तब हुआ जब हमने 08.07.2020 को आदेश दिया कि जांच दो महीने की अवधि के भीतर समाप्त की जाए और अंतिम रिपोर्ट हमारे सामने रखी जाए, कि अचानक हमारे सामने एक बहुत लंबी जांच क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि हालांकि मौत हत्या थी, कोई सुराग नहीं इसलिए, हमारी राय में, क्लोजर रिपोर्ट स्पष्ट रूप से जल्दबाजी में की गई कार्रवाई है, जिसमें जांच की प्रकृति के संबंध में बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि यदि एक विस्तृत जांच पहले ही की जा चुकी है, जैसा कि अब सुझाया जा रहा है, तो कोई कारण नहीं है कि अंतिम रिपोर्ट क्यों दी जाए। घटनाओं के सामान्य क्रम में जांच एजेंसी द्वारा दायर नहीं किया जा सकता था और ऐसा करने के लिए इस न्यायालय से आदेश की आवश्यकता थी। इसलिए पूरी जांच और क्लोजर रिपोर्ट में प्रामाणिकता का अभाव है। इसलिए न्याय के हित में नए सिरे से जांच किए जाने की आवश्यकता है, ताकि कानून के शासन में समाज का विश्वास कायम रहे, चाहे कर्ता कोई भी हो।

14. इसलिए, हम क्लोजर रिपोर्ट को रद्द करते हैं और राज्य के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में जांचकर्ताओं की एक नई टीम द्वारा नए सिरे से जांच करने का निर्देश देते हैं, जिसमें आधुनिक जांच तकनीक के उपयोग से भी अच्छी तरह परिचित कुशल कर्मी शामिल होंगे। कोई भी अधिकारी जो क्लोजर रिपोर्ट तक पहुंचने वाली जांच टीम का हिस्सा था, नए सिरे से जांच करने वाली टीम का हिस्सा नहीं होगा। काफी समय बीत चुका है और निस्संदेह अब इस मामले में शीघ्रता आ गई है। इसलिए हम निर्देश देते हैं कि ऐसी नई जांच आज से अधिकतम दो महीने की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए और पुलिस रिपोर्ट संबंधित अदालत के समक्ष दायर की जानी चाहिए, जिसके बाद मामला कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा।

15. रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादित।